

दिनांक: 13/09/21

क्रमांक एफ()/तकनीकी/उवसं/उदय/2020-21/6329
निमित्त

सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0
उपखण्ड -I गिर्वा उदयपुर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अलसीगढ़ से नालफला सड़क निर्माण।

संदर्भ:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर का पत्रांक एफ 5 () वस / मुवसं / 2020-21/2048 दिनांक 23.03.2021 एवं इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 8291 दिनांक 14.11.2019 एवं 3416 दिनांक 03.06.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित जो कि इस कार्यालय को प्रेषित कर प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है, के क्रम में लेख है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.01.2019 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की थी। जिसकी पालना रिपोर्ट इस कार्यालय पत्रांक 410 दिनांक 21.01.2021 से उच्च कार्यालय को प्रेषित की गई। उच्च कार्यालय द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद निम्न आक्षेप लगाये हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	बिन्दु संख्या 12 की पालना में IRC Norms क्या है, प्लान्टेशन किया जाकर पालना रिपोर्ट अपेक्षित है।	
2	बिन्दु संख्या 17 की अनुपालना आवश्यक है, वचनबद्धता की आवश्यकता नहीं है।	

उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर अद्यतन पूर्ण पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

इसके साथ ही NFL में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु श्रमिक दरों में वृद्धि (213/- प्रतिदिन से बढ़कर 252/- प्रतिदिन) होने के कारण अन्तर राशि 80224/- ई-चालान के माध्यम से सीधे ही राजस्थान स्टेट कैम्पा खाता संख्या **CAF Rajasthan-SB-520101263743681 Corporation Bank Lodhi Complex, New Delhi-110003** में शीघ्र जमा कराते हुए जमा राशि का विवरण मय रसीद इस कार्यालय को प्रेषित करे।

भवदीय



(मुकेश सैनी)

उप वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमांक एफ()तकनीकी/उवसं/उदय/20-21/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।

1
उप वन संरक्षक,
उदयपुर